

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 17 जनवरी, 2023

उद्घोषित : 20 जनवरी, 2023

रि.या.(सि) 90/2023 व सि.वि. आवे. 295/2023

सचिन व अन्य

....याचीगण

द्वारा : श्री अजय गर्ग, सुश्री तृप्ति गोला,
सुश्री लिंगदेहात चोंगलोई, श्री अरविंद
सरदाना व श्री हरजोत सिंह,
अधिवक्तागण

रि.या.(सि) 301/2023 व सि.वि. आवे. 1186/2023

अनुराग शर्मा व अन्य

....याचीगण

द्वारा : श्री अजय गर्ग, सुश्री तृप्ति गोला,
सुश्री लिंगदेहात चोंगलोई, श्री अरविंद
सरदाना व श्री हरजोत सिंह,
अधिवक्तागण |

बनाम

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल व अन्य

....प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर, केंद्र
सरकार स्थायी अधिवक्ता सह श्री
श्रीश कुमार मिश्रा, श्री सागर
मेहलावत व श्री अलेक्जेंडर मथाई
पैकाडे, सुश्री अनुभा भारद्वाज व श्री
देव पी. भारद्वाज तथा श्री विवेक
नागर, अधिवक्तागण |

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

निर्णय

न्या., सुरेश कुमार कैत

1. उपरोक्त दोनों याचिकाओं को याचीगण ने दिनांक 27 दिसंबर, 2022 को जारी विज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - 2022 में मुख्य आरक्षी (लिपिकवर्गीय) के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा देने के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिए जाने हेतु दायर किया है।

2. चूंकि उपरोक्त दोनों याचिकाओं की विषय-वस्तु समान है, इसलिए, पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से, इन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की गई तथा इस सामान्य निर्णय द्वारा इनका निपटान किया जा रहा है।

3. वर्तमान याचिकाओं को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - 2022 में सहा.उप.नि. (आशुलिपिक) मुख्य आरक्षी (लिपिकवर्गीय) के पद पर भर्ती के लिए इच्छुक आवेदकों को आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन दिनांक 27.12.2022 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। इस पद पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 25.01.2023 है। परीक्षा की योजना में कंप्यूटर

आधारित परीक्षण, कौशल परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेज सत्यापन (डीवी), विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) तथा समीक्षा चिकित्सा परीक्षण (आरएमई) शामिल हैं। अभ्यर्थीगण की आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि अर्थात् 25.01.2023 को 18 से 25 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है, जिसका अर्थ है कि किसी भी अभ्यर्थी का जन्म 26.01.1998 से पूर्व या 25.01.2005 के बाद का नहीं होना चाहिए।

4. इन याचिकाओं में याचीगण द्वारा की गई शिकायत यह है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने वर्ष 2016 में मुख्य आरक्षी (लिपिकवर्गीय) के पद पर सीधी भर्ती के लिए 686 रिक्तियों को भरने के लिए एक विस्तृत विज्ञापन जारी किया था, लेकिन इसमें याचीगण का चयन नहीं किया जा सका। इसके बाद, दिनांक 27.12.2022 को अर्थात् छह वर्ष की अवधि के बाद, उक्त पद पर रिक्तियों को भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया है। याचीगण इस बात से दुखी थे कि उक्त पदों के लिए अभ्यर्थीगण की निर्धारित आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है, लेकिन चूंकि मनमाने ढंग से पिछले 5-6 वर्षों से कोई भर्ती आयोजित नहीं की गई है, इसलिए याचीगण अधिक उम्र के हो गए हैं और उन्होंने निर्धारित अधिकतम आयु सीमा अर्थात् 25 वर्ष को पार कर लिया है और इस प्रकार वे उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने में असमर्थ हैं।

5. सुनवाई के दौरान, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अपने कई कार्यालय ज्ञापनों दिनांक

13.06.2016, 23.06.2016, 02.11.2016 तथा 23.12.2016 के माध्यम से यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी सरकारी विभाग / संगठन सभी रिक्तियों को राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से पोस्ट करेंगे। हालाँकि, चूंकि प्रत्यर्थी सं. 1 पिछले 5-6 वर्षों से मुख्य आरक्षी (लिपिकवर्गीय) के पद के लिए रिक्तियों को पोस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए कुछ याचीगण ने इस न्यायालय के समक्ष रि.या.(सि) सं. 3874/2022 के रूप में एक रिट याचिका दायर की जिसमें प्रत्यर्थीगण को उक्त पद के लिए बिना किसी देरी के भर्ती करने और ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्देश देने की मांग की। याचीगण के अनुसार, इस न्यायालय ने उपरोक्त याचिका में दिनांक 08.03.2022 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को छह सप्ताह की अवधि के भीतर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी उक्त कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.सं.43014/03/2019-एस्टेट(बी) पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी, जब संबंधित पद की रिक्तियों को भरने के बारे में प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई, तो याचीगण ने प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध एक अवमानना याचिका अर्थात् अव.वा.(सि) सं. 531/2022 दायर की, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 30.08.2022 के आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी द्वारा दायर पुनर्विलोकन याचिका सं. 192/2022 की विचाराधीनता के मद्देनजर आदेशों को स्थगित कर दिया। कथित पुनर्विलोकन याचिका में, प्रत्यर्थीगण ने स्वीकार किया कि मुख्य आरक्षी (लिपिकवर्गीय) के पद के लिए रिक्तियां वर्ष 2018, 2019, 2020 तथा

2021 के लिए रिक्त थीं। इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 28.10.2022 द्वारा कथित पुनर्विलोकन याचिका का निपटान किया गया था, जिसमें प्रत्यर्थागण को आठ माह के भीतर उक्त रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे।

6. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि याचीगण के आयु वर्जित होने का मुख्य कारण यह है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने वर्ष 2017, 2018, 2019, 2020 तथा 2021 के लिए मुख्य आरक्षी (लिपिकवर्गीय) के पद पर भर्ती के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की।

7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि वर्ष 2020 एवं 2021 के लिए मुख्य आरक्षी (लिपिकवर्गीय) के पद के लिए परीक्षाएं संभवतः कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित नहीं की जा सकीं, हालांकि, यदि याचीगण को वर्ष 2022 के लिए उक्त पद के लिए भर्ती प्रक्रिया / परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत अपने वैध अधिकारों से वंचित हो जाएंगे।

8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के “एकबारगी उपाय” के रूप में ऊपरी आयु सीमा में छूट देने से वे वर्ष 2022 के लिए मुख्य आरक्षी (लिपिकवर्गीय) के पद के लिए परीक्षा दे पाने में समर्थ हो जायेंगे।

9. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949, का नियम 9 प्रत्यर्थी सं. 2 को नियमों में ढील देने की शक्ति देता है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का नियम 9 निम्ना सं. 2 द्वारा नियमों में ढील देने के लिए। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का नियम 9 निम्नानुसार है:

“9. शिथिल करने की शक्ति- जहाँ केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो यह आदेश द्वारा, चूँकि कारण लिखित में दर्ज किए जाने हैं, तो किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में ढील दी जा सकती है।”

10. अपने तर्क को मजबूत करने के लिए, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में आरक्षी (जी.डी.) के पद पर भर्ती के लिए हाल ही में दिए गए एक विज्ञापन में सभी श्रेणियों के अभ्यर्थीगणको “एक बार के उपाय” के रूप में तीन वर्ष की आयु की छूट दी गई है।

11. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सहायक कमांडेंट (जी.डी.) के पद पर सीमित प्रतियोगी विभागीय परीक्षा-2018, 2019, 2020, 2021 & 2022 के माध्यम से चयन के लिए महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिनांक 22.04.2022 को जारी विज्ञापन की ओर भी इस न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया था। उक्त विज्ञापन के पैरा 4 (क) में, उल्लिखित ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष है जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“4(क) आयु:- एलडीसीई में बैठने के लिए ऊपरी आयु सीमा रिक्ति वर्ष विशेष के 1 अगस्त को 35 (पैंतीस) वर्ष से अधिक नहीं होगी। विभिन्न रिक्ति वर्षों के लिए अभ्यर्थीगण की आयु की गणना के लिए कट ऑफ तिथि निम्नानुसार होगी:-

क्रम सं.	रिक्ति का वर्ष	कट ऑफ डेट
1.	2018	01.08.2015
2.	2019	01.08.2019
3.	2020	01.08.2020
4.	2021	01.08.2021
5.	2022	01.08.2022

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत विज्ञापन के प्रकाशन के अनुसरण में, याचीगण ने प्रत्यर्थी को ऊपरी आयु में छूट की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन दिया था, हालाँकि, उस पर कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, याचीगण ने सभी श्रेणियों को परीक्षा में बैठने में सक्षम बनाने के लिए प्रत्यर्थी को न्यूनतम चार साल की आयु में छूट देने का निर्देश दिए जाने की माँग के साथ इस न्यायालय का रुख किया है।

13. दूसरी ओर, विद्वान केंद्र सरकार स्थायी अधिवक्ता (कें.सर.स्था.अधि.) ने प्रस्तुत किया कि मुख्या आरक्षी (लिपिकवर्गीय) के पद के लिए अंतिम भर्ती वर्ष

2016 में आयोजित की गई थी और सितंबर, 2017 में पूरी हुई थी और गृह मंत्रालय ने भी अपने आदेश सं. 45020/1/2019/लीगल-1 दिनांकित 19.08.2019 के माध्यम से सेवानिवृत्ति की आयु 57 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। विद्वान कें.स.स्था.अधि. ने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि 2019 और 2021 के बीच कोई सेवानिवृत्ति नहीं थी, इसलिए उक्त अवधि के लिए सेवानिवृत्ति के खिलाफ कोई रिक्ति नहीं हुई।

14. विद्वान कें.स.स्था.अधि. ने यह भी प्रस्तुत किया कि विद्वान कांस्टेबल (समा.कर्त.) के पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 23 वर्ष है, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित अभ्यर्थीगणके लिए 05 वर्ष तक की छूट है और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थीगणके लिए 03 वर्ष तक है। इसी प्रकार, मुख्य आरक्षी (लिपिकवर्गीय) के पद के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थीगणके लिए 05 वर्ष तक की छूट दी गई है और ओबीसी अभ्यर्थीगणके लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है।

15. विद्वान कें.स.स्था.अधि. ने आगे कहा कि अभूतपूर्व कोविड-19 महामारी के कारण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र सं. 45023/29/2021-पेर्स पॉलिसी-पार्ट(1)/760 दिनांक 26.07.2022 के माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विशेष सुरक्षा बल और राइफलमैन (जीडी), असम राइफल्स परीक्षा 2022 और 2023 में कांस्टेबल (जीडी) की भर्ती के लिए सभी श्रेणियों के अभ्यर्थीगणको “एक

बारगी उपाय” के रूप में सभी श्रेणियों के अभ्यर्थीगणके लिए संबंधित ऊपरी आयु सीमा से 03 वर्ष अधिक की छूट प्रदान की है। आरक्षी (जीडी) के पद पर भर्ती के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थीगणकी आयु सीमा 23 वर्ष से बढ़ाकर 26 वर्ष, ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थीगणकी 23 वर्ष से बढ़ाकर 29 वर्ष और एससी/एसटी श्रेणी के अभ्यर्थीगणके लिए 23 वर्ष से बढ़ाकर 31 वर्ष कर दी गई है। यदि 26.07.2022 के उपरोक्त आदेश के अनुसार आयु में छूट दी जाती है, तो मुख्य आरक्षी (लिपिक) के पद के लिए आयु सीमा सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थीगणके लिए 25 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष, ओबीसी अभ्यर्थीगणके लिए 25 वर्ष से बढ़ाकर 31 वर्ष और एससी/एसटी अभ्यर्थीगणके लिए 25 वर्ष से बढ़ाकर 33 वर्ष कर दी जाएगी। अंत में, विद्वान कें.स.स्था.अधि. ने कहा कि इन याचिकाओं में मांगी गई राहतों को खारिज किया जाना चाहिए।

16. याचीगण की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने अपने खंडन में कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में कोई भी डेटा अभिलेख पर लाए बिना इसे परिकल्पित नहीं किया जा सकता कि सेवानिवृत्ति पर कोई रिक्ति नहीं हुई है। वैसे भी, 2018 से 2022 तक प्रत्येक वर्ष रिक्तियां बढ़ी हैं और चूंकि प्रत्यर्थी ने मनमाने ढंग से कोई भर्ती प्रक्रिया आयोजित नहीं की थी और इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के बाद ही यह भर्ती अभियान शुरू हुआ है। इसलिए, जो याचीगण सी.आर.पी.एफ. में भर्ती प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अधिक उम्र के होने के कारण उनके वैध अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

इसके साथ ही, सी.आर.पी.एफ. नियम ९ अपने आप में नियमों में ढील की अनुमति देता है, इसलिए, यह निर्देश न्याय के हित में प्रत्यर्थागण को प्रश्नगत पद के लिए परीक्षा में उपस्थित होने के लिए याचिकाकर्ताओं की ऊपरी आयु सीमा में छूट देने के लिए निर्देश देना न्याय के हित में होगा ।

17. दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता को सुनने और इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के अवलोकन पर हम पाते हैं कि दिनांक 27.10.2022 के विज्ञापन में, आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। उक्त विज्ञापन का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

“7. आयु सीमा:

7.1 आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि अर्थात् 25.01.2023 पर अभ्यर्थागणकी आयु सीमा 18-25 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्था का जन्म 26.01.1998 से पहले या 25.01.2005 के बाद नहीं होना चाहिए।

7.2 अधिकतम आयु सीमा में छूट का दावा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों और श्रेणी कोड इस प्रकार होंगे:

कोड सं.	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा से ऊपर आयु सीमा में अनुमत छूट
01.	एससी/एसटी	5 वर्ष

02.	ओबीसी	3 वर्ष
03.	पूर्व-सैनिक	वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा की कटौती के 3 वर्ष बाद अंतिम तारीख को.
04.	केन्द्र सरकार के कर्मचारी	जिन अभ्यर्थीगणने अंतिम तिथि तक 3 वर्ष से कम नियमित/निरंतर सेवा प्रदान नहीं की है, वे सामान्य/ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थीगणके लिए 40 वर्ष, ओबीसी अभ्यर्थीगणके लिए 43 वर्ष और एससी/एसटी के अभ्यर्थीगणके मामले में 45 वर्ष की आयु तक के पात्र हैं।
05	गुजरात में 1984 के दंगों या 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित (अनारक्षित)	5 साल
06.	गुजरात में 1984 के दंगों या 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित	8 साल

07.	गुजरात में 1984 के दंगों या 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे और आश्रित (एससी/एसटी)	10 साल
-----	---	--------

18. इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी सं. 1, उन कारणों से, जिनके बारे में उसे सबसे अधिक जानकारी है, मुख्य आरक्षी (लिपिकवर्गीय) के पद पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2017 से भर्ती प्रक्रिया से बच रहा है। यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि 2019-2020 की अवधि के दौरान, सरकारी विभागों/संगठनों में नियुक्तियों को रोक दिया गया था, हालांकि, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि सभी सरकारी विभाग/संगठन वर्ष 2021 से पूरी तरह से काम कर रहे हैं। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि याचीगण ने परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रत्यर्थी को विभिन्न अभ्यावेदन दिए हैं, जैसे कि भारत के माननीय राष्ट्रपति, भारत के माननीय प्रधानमंत्री और सभी सक्षम अधिकारियों को अभ्यावेदन देने के बावजूद, प्रत्यर्थीगण ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। रि. या. (सि.) संख्या 3874/2022 में इस न्यायालय के निर्देश दिनांक 08.03.2022 के बावजूद, प्रत्यर्थीगण ने भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की। यह केवल तब है जब उसमें याचियों ने अवमानना की कार्यवाही में इस न्यायालय

का दरवाजा खटखटाया, प्रत्यर्थागण ने अब छह साल की अवधि के बाद वर्ष 2022 में मुख्य आरक्षी (लिपिकवर्गीय) के पद के लिए रिक्तियों को प्रकाशित किया है।

19. इस परिस्थिति में, हम यह देखने में संकोच नहीं करते हैं कि छह साल की अवधि के बाद उक्त पद पर भर्ती के लिए रिक्तियों को प्रकाशित करने में सुस्ती और देरी ने उन याचीगण जैसे अभ्यर्थीगणके भविष्य की संभावनाओं को कम कर दिया है जो बलों में नियुक्ति के लिए इच्छुक हैं और प्रयास कर रहे हैं।

20. माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2022 की सिविल अपील संख्या 2016 (एसएलपी (सी) 2022 की संख्या 4452 से उत्पन्न) में " "दिल्ली **उच्च न्यायालय बनाम देविना शर्मा**" " "शीर्षक से, जिसमें याचिकाकर्ता ने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा-2022 में उपस्थित होने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की मांग इस दलील पर की थी कि यदि दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 और 2021 में परीक्षा आयोजित की होती तो " अभ्यर्थीकथित वर्षों में आयु सीमा के भीतर रहे होते , जिनका अवलोकन किया गया होगा और निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया होगा:- -

"18. न्यायिक सेवा में भर्ती प्रक्रिया के संचालन के लिए समय- अनुसूची मलिक मजहर सुल्तान (3) बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा निर्धारित की गई है। इस न्यायालय के

निर्देशों का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा है कि 6 (2008) 17 एससीसी 703 सीए 2016/2022 में कि उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार न्यायिक सेवा के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष अनुसूची समय पर आयोजित की जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली न्यायिक सेवा के लिए भर्ती के लिए 2019 में अपनी अंतिम परीक्षा आयोजित की थी। माना कि 2020 या 2021 में कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। 2020 के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि 2019 की प्रक्रिया अभी पूरी होनी बाकी थी। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी थी। इस पृष्ठभूमि में, चूंकि परीक्षा दो भर्ती वर्षों से आयोजित नहीं की गई थी, इसलिए उच्च न्यायालय विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा से इस न्यायालय के समक्ष दिए गए मुद्दे पर विचार करने के बाद कहा है कि एक बार के उपाय के रूप में, यह न्यायालय इस सुझाव को प्रतिग्रहण करना, प्रतिगृहीत करना, स्वीकार करना कर सकता है कि जिन अभ्यर्थीगण ने परीक्षाओं के लिए अर्हता प्राप्त की है, उन्हें भर्ती वर्ष 2020 और 2021 के लिए अनुसूची नियमों के अनुसार आगामी परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली न्यायिक सेवा के लिए भर्ती परीक्षा 2019 में आयोजित की गई थी और इस बीच दो भर्ती वर्ष बीत गए हैं, हमारा विचार है कि इस वर्ष के लिए उच्च न्यायालय के सुझाव को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा इस सुझाव को प्रतिग्रहण; स्वीकृति करने का परिणाम यह

होगा कि जो अभ्यर्थीगण भर्ती वर्ष 2020 और 2021 के लिए 32 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को पूरा कर चुके होंगे, वे आगामी भर्ती वर्ष 2022 के लिए परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे। आयु सीमा जो वे चाहते थे उनकी अपनी इच्छानुसार नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थीगण के सामने आने वाली कठिनाइयों के मूल अवयवों का सि.आ. 2016/2022 11 उच्च न्यायालय के द्वारा निवारण कर दिया गया है और इस न्यायालय के लिए सुझाव नहीं स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि, परीक्षा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है और न ही जिन अभ्यर्थीगण ने आवेदन किया है, उन्हें अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ा जा सकता है। प्रतियोगिता का दायरा बढ़ाकर मौजूदा अभ्यर्थीगण को कोई शिकायत नहीं हो सकती है। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु हम उच्च न्यायालय के इस सुझाव को स्वीकार करते हैं कि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2022 तक बढ़ाई जाएगी और परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को आयोजित की जाएगी। हम निर्देश देते हैं कि परीक्षा के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी और कोई भी न्यायालय इस न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों से भिन्न या इसके विपरीत रोक का कोई आदेश जारी नहीं करेगा।

XXXXXXXX

28. सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि उच्चतर न्यायिक सेवा

परीक्षा हेतु कई आवेदक वर्ष 2020 या 2021 में, जैसा भी मामला हो, 45 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के संदर्भ में अर्हता प्राप्त कर चुके होंगे। वस्तुतः श्री ए डी एन राव ने सूचित किया है कि उन्हें इस आशय से निर्देश मिले हैं कि उनमें से कुछ अभ्यर्थीगणने उच्च न्यायालय में पहले से ही याचिकाएं दायर कर दी होंगी या इसकी प्रक्रिया में होंगे। सि.आ. 2016/22 17 का तर्क जिसका इस न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को एक बारगी उपाय के तौर पर वर्ष 2020 व 2021 की भर्ती वर्ष के दौरान 32 वर्षों की उपरी आयु सीमा के सम्बन्ध में अर्हता प्राप्त कर चुके दि.न्या.से. परीक्षा के अभ्यर्थीगणको अनुमति प्रदान करने हेतु मंजूरी देने के लिए मूल्यांकन किया गया है, यह उस तर्क से संगत होना चाहिए जो वर्ष 2020 व 2021 के भर्ती वर्ष के दौरान जब पूर्व उल्लिखित कारणों से कोई परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई थी, 45 वर्षों की उपरी आयु-सीमा के सम्बन्ध में अर्हता प्राप्त कर चुके दि.उ.न्या.से. परीक्षा के अभ्यर्थीगणहेतु प्रदान की गई थी।”

21. इस न्यायालय का वर्तमान मामले के तथ्यों में **दिल्ली उच्च न्यायालय बनाम देविना शर्मा (उपरोक्त)** मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए मत के विपरीत कोई मत नहीं है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचीगण जैसे अभ्यर्थीगण बिना उनकी गलती के के.रि.पु.ब. में भर्ती से वंचित रहे हैं, के.रि.पु.ब. द्वारा आयोजित परीक्षा की गैर-संचालन के कारण और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2016 के बाद 2022 तक प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा मुख्य आरक्षी (लिपिकवर्गीय) के पद

के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई, हमारी राय है कि याचीगण और इसी तरह की स्थिति वाले कर्मियों को परीक्षा में शामिल होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जब के.रि.पु.ब. का नियम 9 न्याय के हित में, जहां आवश्यक हो, नियमों में छूट देने की शक्ति प्रदान करता है, हम पाते हैं कि ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट उन अभ्यर्थीगणको दी जा सकती है जो प्रश्नगत विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन करना चाहते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि उक्त परीक्षा में उपस्थित होने के लिए ऊपरी आयु में छूट दी जाती है, तो भी उक्त पदों पर नियुक्तियां केवल अभ्यर्थीगण द्वारा भर्ती प्रक्रिया अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (शा.मा.प.), दस्तावेज सत्यापन (द.स.), विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (वि.चि.प.) और समीक्षा चिकित्सा परीक्षण (स.चि.प.) के आवश्यक मानदंडों को उतीर्ण करने में सफल होने के बाद ही संचालित की जाएंगी ।

22. उपर्युक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य के परिपेक्ष्य में उक्त पद हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 25.01.2023 है, हम एतद द्वारा प्रत्यर्थीगण को निर्देश देते हैं कि वे 'एक बारगी उपाय' के तौर पर आयु में 03 वर्ष की छूट की घोषणा करते हुए दिनांक 25.01.2023 को या उससे पहले शुद्धिपत्र जारी करें और प्रश्नगत पद हेतु आवेदन आमंत्रित करने की तिथि भी बढ़ाई जाती है ।

23. उपरोक्त निर्देशों के साथ, इन याचिकाओं का तदनुसार निपटान किया जाता है।

(सुरेश कुमार कैत)
न्यायमूर्ति

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायमूर्ति

20 जनवरी, 2023

आर/आरके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।